

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 112/2015

दायर दिनांक:- 11.09.2015

जीसीएमएस नं. 2015/00174

उनवान

हंसराज पुत्र किशनलाल जाति जाटव निवासी तिघरिया का पुरा तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—08

बनाम

मोती पुत्र श्रीचंद जाति माली निवासी गोलाकापुरा तन बहादुरपुर तहसील हिण्डौन
जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—08

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 26-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 112/2015 हंसराज बनाम मोती दावा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली